आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 3/2011–12

1. राम सागर यादव पे0–स्व0 रामस्वरूप यादव
2. राम बालक यादव पे0–स्व0 रामस्वरूप यादव
3. प्रमोद यादव पे0–स्व0 अनुप यादव
4. राम बालक यादव पे0–स्व0 अनुप यादव
5. रामाधीन यादव पे0–स्व0 अनुप यादव

सभी ग्राम–मछड़ा, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया — पुनरीक्षणकर्त्ता

वनाम

1. रामसोगारथ यादव पे0–स्व0 धनिक यादव
2. रामनाथ यादव पे0–स्व0 धनिक यादव
3. रामजतन यादव पे0–स्व0 रशिकलाल यादव
4. शिवशंकर यादव पे0–स्व0 रशिकलाल यादव
5. राम विलाश यादव पे0–स्व0 रशिकलाल यादव
6. सुरेश यादव पे0–स्व0 धना यादव
7. हरि नारायण यादव पे0–स्व0 धना यादव
8. राम चलित्तर यादव पे0–स्व0 मोहीलाल यादव
9. रामदेव यादव पे0–स्व0 दल्लू यादव
10. कालेश्वर यादव पे0–स्व0 दल्लू यादव
11. राम पुकार यादव पे0–स्व0 दल्लू यादव

सभी ग्राम–मछड़ा, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया — विपक्षी

–आदेश–

31.07.12

पुनरीक्षणकर्त्ता ने अपने पुनरीक्षण आवेदन पत्र में कहा है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या 3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.11.11 से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण वाद लाया है।

पुनरीक्षण कर्त्ता ने अपने आवेदन पत्र के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का तथाकथित अपील वाद सं0 3/2011

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

की छाया प्रति भी संलग्न किया है जिसमें सन्निहित जमीन निम्न प्रकार बताया गया है।

मौजा	थाना	तौजी	खाता	खेसरा	रकवा वी0 क0 धू0 धू0
मछरा	229	1395	364	521	3 – 3 – 13 – 10
				754	
				755	
				757	

पुनरीक्षणकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के आदेश को अवैधानिक बताया है। उन्होंने बताया कि रिटर्न–1 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है और अपीलार्थीगण (इस पुनरीक्षणवाद में विपक्षी) ने इसे घोषित नहीं किया और इस हालत में उत्तरवादी आवेदकगण (पुनरीक्षणकर्त्ता) द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न सभी पर लागू होता है। उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी गण (पुनरीक्षणकर्त्तागण) संयुक्त परिवार के संपत्ति जिसका कुल रकवा 6 वी0 7 क0 7 धू0 है के आधे हिस्सेदार होते है जैसा कि पंजी–1 में दर्ज है। नामान्तरण अपील स्वयं काल वाधित बताते हैं। उन्होंने नामान्तरण कानून के नियम–12 आवश्यक नहीं बताया। अगर कोई अनियमितता थी तो अपीलीय न्यायालय को मामले को निचले न्यायालय में वापस कर देना चाहिए था। लेकिन इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि उत्तरवादी (पुनरीक्षणकर्त्ता) आधे हिस्से का हकदार है परन्तु अपीलकर्त्ता विपक्षी ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि विपक्षी आवेदक गण (पुनरीक्षणकर्त्ता) का क्या हिस्सा है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक विपक्षी गण (पुनरीक्षणकर्त्ता) आधे सम्पत्ति में दखलकार है।

पुनरीक्षणकर्त्ता ने कहा है कि सर्वे के खतियान के मुताबिक वे बराबरी संपत्ति का हिस्सेदार है। उन्होंने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत सूचना आवश्यक नहीं है तथा आम व खास नोटिस सूचना को इंगित करता है तथा अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा कई सूचना निर्गत की गई है इसलिए कोई अनियमितता नहीं है। उन्होंने अपीलीय न्यायालय को स्थानीय जांच नहीं कर आदेश पारित करने पर भी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षीगण ने निम्न अपीलीय न्यायालय में बटवारा संबंधी कोई भी कागजात खतियान के अनुसार समर्पित नहीं किया है। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने इसकी खोजबीन नहीं की । उनका यह भी कहना है कि हिन्दु परिवार में बटवारा मौखिक भी होता है जिसके

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

लिए कोई लेखन की जरूरत नहीं पड़ती है।

विपक्षीगण ने आपत्ति आवेदन–पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में समयानुकुल वाद दायर किया गया था। चुंकि विपक्षीगण को अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा उनके न्यायालय में विपक्षी पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा उनके अनुपस्थिति में ही अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था इसलिए आदेश की जानकारी प्राप्त होने के बाद विलम्ब माफी के साथ अपील दायर किया गया था जिसे विधिवत मंजूर कर लिया गया था। अंचल अधिकारी, अलौली ने मात्र आम नोटिस निर्गत कर पुनरीक्षणकर्त्ता के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था जबकि नियमानुसार जमाबंदी रैयत के वारिसान को नोटिस देकर सुनना चाहिए था। उन्होंने हल्का कर्मचारी द्वारा रजि0–01 की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य को गैर जिम्मेदराना बताते हुए कहा कि न रिर्टन अंचल कार्यालय में उपलब्ध है न ही जिला अभिलेखागार में।

उनका यह भी कहना है कि उक्त विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है तथा हल्का कर्मचारी ने बिना स्थल जांच किये ही अंचल अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उक्त जमीन पर विपक्षी अपना दखल कब्जा बताया है। अपने आपत्ति आवेदन पत्र में उन्होंने खतियान का भी जिक्र किया है जिसमें खेसरा 756 पर गोनू व आवेदक गण का आवासीय मकान है तथा खेसरा 75 पर विपक्षी गण के हिस्से वाली जमीन को हड़पने की कोशिश की है। विपक्षी का यह भी कहना है कि प्रश्नगत खेसरा 521 का कुल रकवा 03 वीघा 11 कट्टा 5 धूर जमीन मोहिलाल दल्लू एवं मेघू ने विक्री कर दिया जिस पर खरीददार गण जमाना से दखलकार हैं तथा उनके नाम से जमाबंदी चल रही है जिसका दाखिल खारिज भी आवेदक के नाम पर कर दिया जो गलत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। तथा उनके द्वारा दाखिल कागजात को अवलोकन किया भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का दिनांक 23.11.11 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया। उन्होंने अपने आदेश में विवादित भूमि के सही हकदार की पहचान करने में विफल रहे हैं तथा तकनिकी कारणों से अंचल अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को अवैधानिक बताया है

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

उन्होंने उक्त आदेश को खारिज करते हुए विवादित जमीन को पूर्व के जमाबंदी में जोड़ने का आदेश पारित किया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह मामला स्वत्ववाद का है चूँकि पक्षकारों के बीच विवादित भूमि के हिस्से को लेकर विवाद है। अंचल पदाधिकारी, अलौली ने दखल के आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता के नाम दाखिल खारिज आदेश पारित किया है जो दाखिल खारिज का मुख्य आधार है। उभय पक्ष द्वारा दाखिल कागजात को देखने से प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्त्तागण को उनके वाजिब हिस्सा जमीन में नही दी गयी है। अगर अंचल पदाधिकारी, अलौली ने पुनरीक्षणकर्त्तागण का विवादी भूमि पर दखल पाकर उनके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया है तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आती है। जहाँ तक विपक्षीगण का उक्त भूमि पर तीन हिस्सा का हकदार होने का प्रश्न है तो इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर वे उक्त भूमि के तीन हिस्से का हकदार होने का दावा करते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय से इसे सम्पुष्ट कराने की आवश्यकता नियमानुसार है। ऐसी परिस्थिति में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का दाखिल खारिज अपील वाद सं0 3/2011 में पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अंचल पदाधिकारी, अलौली द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1821/10–11 में पारित आदेश बहाल रखा जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.7.12

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया

21.7.12

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया